वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,बदायूँ द्वारा पुलिस लाईन सभागार कक्ष में अपराध समीक्षा के सम्बंध में की गई मासिक गोष्ठी।

◆अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों दिए गए सख्त निर्देश।

◆यूपी-112 पर प्राप्त सूचनाओं पर अल्पसमय में पीआरवी वाहनों के मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हर सम्भव सहायता हेतु दी गई हिदायत।

◆ आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतो की समयबद्ध जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश।

◆ सुरक्षा/कानून व्यवस्था के दृष्टिगत प्रत्येक छोटी से छोटी घटनाओं पर गम्भीरता से कार्यवाही के दिए निर्देश ।

◆लुटेरे, चोर व गम्भीर अपराध के पेशेवर अपराधियों की सतत निगरानी व उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को दिये गये निर्देश ।

◆लम्बित विवेचनाओं, प्रार्थना पत्रों की समयबद्ध जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश ।

◆महिला व बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर अत्यंत गंभीरता बरतने व सम्बंधित अपहृता की सकुशल बरामदगी के लिए दिए गए कड़े निर्देश ।

◆यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही व आमजन से सद्भाव के दिए सख्त निर्देश ।

आज दिनांक 21.02.2023 को डॉ0 ओ0पी0 सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक बदायूँ, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी बदायूँ, खनन अधिकारी, आबकारी अधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, एआरटीओ बदायूँ तथा समस्त थाना व शाखा प्रभारियों के साथ पुलिस लाईन सभागार कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया ।

अपराध गोष्ठी से पूर्व सैनिक सम्मेलन कर पुलिस कर्मियों की समस्याओं से अवगत होकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया ।

गोष्ठी के दौरान अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही, आगामी त्यौहारो की संवेदनशीलता के दृष्टिगत छोटी से छोटी घटनाओं पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारीगण व थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए ।

यूपी 112 पर प्राप्त सूचनाओं को पीआरवी वाहनों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर समयबद्ध निस्तारण हेतु हिदायत दी गयी। लुटेरे व पेशेवर अपराधियों की सतत निगरानी व सत्यापन करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। यातायात नियमों का पालन न करने पर प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देश दिए गए ।

लम्बित विवेचनाओं व प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध कराया जाए तथा महिला संबंधित अपराधों में गम्भीरता से कार्यवाही करते हुए अपहृता की सकुशल बरामदगी के लिए कड़े निर्देश दिए गए। सम्भ्रांत व्यक्तियों के बीच में आपसी सौहार्द बनाये रखने के सम्बन्ध में बैठक करके समन्वय स्थापित करें। आमजनमानस के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक बदायूँ, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी बदायूँ, खनन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, इत्यादि अधिकारी एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण, एआरटीओ बदायूँ व समस्त थाना प्रभारी सहित शाखा/कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।